दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेशः- 691 दिनांकः 19/7/2021

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. **श्री दिनेश चंद सुपुत्र श्री गट्टी राम,** निजी सहायक / ग्रेड 'सी' आशुलिपिक (वरि.संख्या-585) जो की वर्तमान में कार्मिक शाखा-III में कार्यरत है को निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रू0 के पे बैंड में 4800/-रू के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते है ।

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रू के वेतन मान में 4800/-रू0 के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नही होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा । यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा । उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

3. निजी सचिव के पद पर **श्री दिनेश चंद सुपुत्र श्री गट्टी राम,** की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें वरिष्ठ वास्तुकार, श्रीमती स्मिता सक्सैना के कार्यालय में तैनात किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है ।

(धर्मेन्द्र शर्मा)
उप निदेशक (गोपनीय)

सं.एफ.10(09)2021/सी.सी./ 521 दिनांकः- 19/7/2021

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
2. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2, दि.वि.प्रा. ।
4. वरिष्ठ वास्तुकार (श्रीमती स्मिता सक्सैना), दि.वि.प्रा. ।
5. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
6. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2021)
7. लेखाधिकारी (संस्था) अराजपत्रित / पी.ए.ओ.(ई.डब्लू.) / (पी.ई.) , दि.वि.प्रा. ।
8. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
9. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
10. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

(आर.एस. नेगी)
सहायक निदेशक (गोपनीय)